


२५/०१/१९

उपखण्ड आ-
उपखण्ड अधिकारी (अपरा)

पञ्जाबली पेश दुई। वकील यावर्ती हाजिर नही। वकील
यावर्ती को बार - बार आवाज लगाए गए।
बार - बार आवाज लगाते के बाद भी न
तो वकील यावर्ती हाजिर और ना ही यावर्ती
स्वयं हाजिर। अतः यावर्ती - पञ को अदम्य हाजरी
अदम्य पेशी में खारीज किया जाना है।
पञाबली फैसला सुनार हाजिर नकर से काम
हो व फाजिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (अपरा)